भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3023

गुरुवार, 11 जुलाई, 2019/20 आषाढ़, 1941 (शक)

तमिलनाडु में टोल गेट

3023. श्री जी. सेल्वमः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल गेटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु में ऐसे प्रत्येक टोल गेट के माध्यम से सृजित राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी टोल गेट-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित टोल गेटों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में टोल गेटों पर प्रवेश और निकास हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा सभी टोल सड़कों को निर्बाध यातायात योग्य बनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिचालित प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की कुल संख्या 52 है।

(ख) और (ग): जी, हां। तमिलनाडु में सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं के तहत शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से अर्जित राजस्व पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान बढ़ा है। विवरण **अनुलग्नक - क** पर दिया गया है।

(घ): जी, हां। ऐसे मामलों में जहां राष्ट्रीय राजमार्ग का एक विशेष खंड एक राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र को सौंपा जाता है, संबंधित राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र की निष्पादन एजेंसी केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का अनुपालन करती है।

(ङ.): वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरें और संग्रहण का निर्धारण) नियमों के नियम 9 (2) के अनुसार भुगतान के समय से 24 घंटे की अवधि के भीतर शुल्क प्लाजा के माध्यम से दो एक तरफा यात्रा पर एक तरफ की यात्रा के लिए लागू शुल्क की डेढ़ गुना की दर से प्रयोक्ता शुल्क देय है।

(च): सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजनाओं में परिचालन और अनुरक्षण (ओ ऐंड एम) ठेकेदार तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) की परियोजनाओं में निर्माण, परिचालन और अंतरण (बीओटी) / परिचालन अनुरक्षण और अंतरण (ओएमटी) रियायतग्राही के माध्यम से यातायात योग्य स्थिति में कायम रखा जा रहा है।

अनुलग्नक - क

'तमिलनाडु में टोल गेट' के संबंध में श्री जी. सेल्वम द्वारा पूछे गए दिनांक 11.07.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 3023 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	रारा सं.	खंड	प्लाजा का नाम	प्रयोक्ता शुल्क (टोल) राजस्व (लाख रु. में)			
				2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अप्रैल-जून 19)
1	4	कांचीपुरम-वलाजपेट	चेन्नासमुद्रम	4060.22	6574.74	7268.23	1480.50
2	4	कांचीपुरम-चेन्नई	श्रीपेरुमबुदुर	3344.85	6814.51	7389.28	1543.50
3	45 और 4	चेन्नई बाईपास	वनगराम	10860.47	11221.85	12076.77	3246.59
4			सुरापट्टू				
5	45बी	तोवरंकुरिची बाईपास के अंतिम छोर से मदुरै तक	चिटांपट्टी	9815.20	8141.48	9470.28	1189.51
6	45बी	त्रिची - तोवरंकुरिचि	बूथाकुडी				1220.25
7	7	मदुरै - कन्याकुमारी	इतुरूवत्तम	13472.34	14848.94	15724.07	933.92
8	7	मदुरै - विरुधुनगर	कप्पालूर				1339.83
9	7	कोविलपट्टी - कयाथर	सलाईपुधुर				1022.78
10	7	तिरुनेलवेली - पनंगुडी	ननगुनेरी				1227.85
11	5	चेन्नई-टाडा	नल्लूर	3546.13	5742.28	6095.03	1260.00
12	226	थिरुमयम - मनमदुरई	शेनबागमपेट्टाई	---	399.88	600.99	112.11
13	226	तंजावुर - पुदुक्कोट्टई	पलया गंधर्वकोट्टई	---	255.12	445.77	96.15
14	205	तिरुपति तिरुथानी चेन्नई	एसवी पुरम	---	---	1243.26	1025.04
15			पट्टाराईपेरूमबूदूर	---	---	343.86	206.36
16		चेन्नई एन्नोर	मथुर	---	---	292.99	747.56
17	7ए (138)	तिरुनेलवेली-तूतीकोरिन	वघाईकुलम	1348.67	1921.33	2061.74	493.27
18	45	ताम्बरम- तिंडीवरम (एन्यूटी)	परीनूर	7531.15	8678.07	9237.38	2769.31
19	45		अथूर	6386.28	9035.93	8020.35	2100.38
20	210	त्रिची-कराइकुडी (एन्यूटी)	लछुमनपट्टी	696.85	735.12	858.20	253.65
21	210		लेम्बलाकुडी	702.02	767.73	813.53	173.85
22	49	रामनाथपुरम / शिवगंगई	अन्नाई इंदिरा गांधी पुल	42.90	0.00	0.00	0.00
कुल				**61807.08**	**75136.98**	**81941.73**	**22442.41**

*****